62

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

सुकरमनी देवी वगै० बनाम गौरा पाईक (खण्डित) वगै०

क्र०/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
	अभिलेख सं0–एम 128/2017 धारा–107 द0प्र0सं0 थाना प्रभारी तमाड़ के अप्राथमिकी सं0–38/17 दिनांक–25/08/17 प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि जमीन विवाद को लेकर उभय पक्ष में विवाद है।	
	जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी। अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरूद्ध द0प्र0सं0 की धारा–107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरूद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रू0 का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय। अभिलेख तिथि 25-09-17 को उपस्थापित करें।	
	लेखापित एवं संशोधित [signature] कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। [signature] 13/9/17 कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू।	
25-09-17	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्ष जवाब दाखिल करें। दिनांक 16-10-17 को रखें।	
16/10	Both party to file a/c by next date 6/11 [signature] [signature] 25/9/17	

108

(3) (5)

पृष्ठ सं०—

तिथि	आदेश एवं दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर	
05-03-18	पीठासीन पदाधिकारी कार्यालय कार्य में व्यस्त। दिनांक 19-03-18 को रखें।	
19-03-18	पीठासीन पदाधिकारी नगर पंचायत चुनाव कार्य में व्यस्त। दिनांक 02-04-18 को रखें।	
02-04-18	पीठासीन पदाधिकारी नगर पंचायत चुनाव कार्य में व्यस्त। दिनांक 23-04-18 को रखें।	
23-04-18	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष अनुपस्थित द्वितीय पक्ष अधिवक्ता हाजरी। उक्त वाद में 6 (छः) माह की अवधि पूर्ण हो चुकी है अर्थात वाद कालबाधित हो गया है। अतः वाद के अभिलेख की कार्रवाई बन्द की जाती है। [signature] 23/4/18	